न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 06/2020

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. गजेसिंह पुत्र स्व0 मोडसिंह 2. वासुदेव सिंह पुत्र स्व0 मोडसिंह 3. बलदेव सिंह पुत्र स्व0 मोडसिंह 4. सुखदेव सिंह पुत्र स्व0 मोडसिंह 5. हडमानसिंह पुत्र स्व0 मोडसिंह (जाति राजपूत, निवासी संजय कॉलानी, बासनी कृषि मण्डी के पीछे, जोधपुर)		1. फतेहसिंह भाटी पुत्र मोडसिंह (गोदपुत्र सिमरथ सिंह) जाति राजपूत, निवासी ग्राम मालसिंह की सिड, तहसील बाप (जोधपुर) वर्तमान जिला फलौदी हाल निवासी–संजय कॉलानी, बासनी कृषि मण्डी के पीछे, जोधपुर 2. सांगसिंह पुत्र डूंगरसिंह 3. सिरेकंवर पुत्री डूंगरसिंह (निवासी मालमसिंह की सिड, तह0 बाप, जोधपुर, हाल जिला फलौदी) 4. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बाप (जोधपुर) वर्तमान जिला फलौदी

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 19.07.2016 उपखण्ड अधिकारी बाप राजस्व अपील संख्या 02/2015 बअनवान फतेहसिंह बनाम सांगसिंह वगैरा

उपस्थित–
1. श्री जगदीश चन्द्र विश्नोई, वकील अपीलांट
2. श्री दयाराम चौधरी, वकील रेस्पो0 सं0 1
3. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 4 की ओर से
4. शेष रेस्पो0 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 21 .01.2026

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपीलांट्स ने उपखण्ड अधिकारी बाप (जोधपुर) द्वारा राजस्व अपील संख्या 02/2015 अनवान फतेहसिंह बनाम सांगसिंह में पारित आदेश दिनांक 19.07.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1–अपीलांट–फतेहसिंह ने राजस्व प्रथम अपील प्रस्तुत कर आग्रह किया कि ग्राम मालसिंह की सिड, वर्तमान राजस्व ग्राम खिदरत तहसील बाप के खसरा नम्बर

190 रकबा 68.08 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड में सिमरथ सिंह पुत्र पन्नेसिंह एवं मोडसिंह पुत्र सुल्तान सिंह के नाम पूर्व में दर्ज थी तथा डूंगरसिंह पुत्र बुलीदानसिंह के नाम खसरा नम्बर 890 रकबा 12.08 बीघा भूमि दर्ज थी। डूंगरसिंह का फौतेदगी ना0क0सं0 446 मौजा कानसिंह की सिड भरते समय ख0नं0 890 रकबा 12.08 बीघा के स्थान पर ख0नं0 190 रकबा 12.08 बीघा भर कर स्वीकृत कर दिया गया। इसलिए उक्त ना0क0सं0 446 विधिविरूद्ध होने से निरस्त कर, ग्राम खिदरत के ख0नं0 190 रकबा 12.08 बीघा भूमि में सिमरथसिंह की 1/2 हिस्सा भूमि में रेस्पो0सं0 1–अपीलांट–फतेहसिंह एवं 1/2 हिस्सा भूमि में मोडसिंह के वारिसान अपीलांट का नाम दर्ज करने हेतु आग्रह किया गया। उक्त स्वीकृत नामान्तरकरण के विरूद्ध रेस्पो0सं0 1–फतेहसिंह द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजस्व प्रथम अपील संख्या 02/2015 में पारित निर्णय दिनांक 19.07.2016 द्वारा अपील अंदर मियाद शुमार कर अपीलाधीन ना0क0सं0 466 निरस्त कर, प्रकरण तहसीलदार बाप को ग्राम खीदरत वादग्रस्त खसरा नं0 190 रकबा 12.08 बीघा की भूमि में मुतवफी सिमरथ सिंह पुत्र पन्नेसिंह एवं मोडसिंह पुत्र सुल्तानसिंह के वारिसान की जांच कर, पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर, सिमरथसिंह एवं मोड़सिंह के वारिसान के नाम बराबर हिस्सा अनुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट–रेस्पो0सं0 1 से 5–गजेसिंह वगैरा ने राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा 76 के तहत यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु मियाद अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र तथा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो न्यायहित में स्वीकार कर प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1–अपीलांट द्वारा इस आधार पर अपील प्रस्तुत की गई कि राजस्व ग्राम कानसिंह की सिड वर्तमान ग्राम खिदरत तहसील बाप के ख0नं0 190, की भूमि राजस्व रेकर्ड में अपीलांट एवं रेस्पो0 के पूर्वजों के नाम दर्ज थी तथा रेस्पो0सं0 2 व 3 के पिता डूंगरसिंह पुत्र बुलीदानसिंह के नाम खसरा नम्बर 890 रकबा 12.08 बीघा भूमि

राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। डूंगरसिंह का फौतेदगी ना0क0सं0 446 भरते समय ख0नं0 890 रकबा 12.08 बीघा के स्थान पर ख0नं0 190 रकबा 12.08 बीघा भरकर स्वीकृत कर दिया गया। अतः ना0क0सं0 446 खारिज कर सिमरथसिंह व मोडसिंह के वारिसों के नाम दर्ज करवाने का आग्रह किया गया। जबकि ख0नं0 190 के खातेदार मोडसिंह व सिमरथसिंह का फौतेदगी ना0क0सं0 933 भरा गया था, जिसकी पृथक से अपील की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अपील आंशिक स्वीकार कर ना0क0सं0 446 को निरस्त करते हुए मामला तहसीलदार बाप को रिमाण्ड कर दिया गया। जो उपलब्ध दस्तावेजो के अध्ययन के बिना पारित होने से काबिले निरस्त है।

अपीलाधीन जैर ना0क0सं0 446 बाबत अपीलांट्स स्व0 मोडसिंह के पुत्र है तथा वादग्रस्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार है, उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील में अपीलांट्स को जानबूझ कर पक्षकार नही बनाया गया। जबकि उक्त भूमि सिमरथसिंह के फौत होने पर स्वतः ही उनके वारिस मोडसिंह को हिन्दु उत्तराधिकार के तहत प्राप्त हो गई थी।

वस्तुतः पन्नेसिंह के दो पुत्र सिमरथसिंह व सुल्तानसिंह थे। सिमरथसिंह लाऔलाद फौत हो गये थे। सुलतानसिंह के पुत्र मोडसिंह थे तथा मोडसिंह के पुत्र अपीलांट व रेस्पो0सं0 1 है। सिमरथसिंह ला–औलाद फौत हुए, जिन्होंने अपने जीवन काल में किसी को गोद नही लिया था। अपीलार्थीगण व रेस्पो0सं0 1 स्व0 मोडसिंह के पुत्र है तथा मोडसिंह के फौत होने पर रेस्पो0सं0 1 व अपीलार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुए, अगर रेस्पा0सं0 1 सिमरथसिंह का गोद पुत्र होता तो मोडसिंह की जायदाद में अपना नाम दर्ज नही करवाता। रेस्पो0सं0 1 की नियत में खोट आने के कारण एवं सिमरथसिंह की जायदाद हडपने के उद्धेश्य से गोद पुत्र बनने का प्रयास कर रहा है, जो गलत एवं विधिविरूद्ध है। रेस्पो0सं0 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें धारा 5 का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर आधारित होने के बावजूद मंजूर कर लिया गया।

रेस्पो0सं0 2 व 3 के पिता डुंगरसिंह पुत्र बुलीदानसिंह के नाम ख0नं0 890 रकबा 12.08 बीघा दर्ज है। डुंगरसिंह के देहान्त के बाद उसका फौतेदगी ना0क0सं0 446 भरा गया, जिसमें ख0नं0 890 की जगह ख0नं0 190 अंकित कर दिया गया। जिसमें अपीलांट के पूर्वजों के नाम दर्ज खातेदारी ख0नं0190 के खातेदार को बिना कोई

नोटिस बिना किसी सुनवाई किए 12.08 बीघा भूमि कम कर दी गई तथा ख0नं0 190 की 12.08 बीघा भूमि रेस्पो0सं0 2 व 3 के नाम दर्ज कर दी गई, जो कानूनन गलत है। सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना फौतेदगी ना0क0 भरते समय कोई खसरा दूसरे व्यक्ति नो नाम नही कर सकता है।

फतेहसिंह अपने आप को सिमरथसिंह का गोद पुत्र बता रहा है, जबकि उसके तमाम दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशनकार्ड, मार्कशीट, मतदाता सूची, पेनकार्ड, वैवाहिक कार्ड इत्यादि में पिता का नाम मोडसिंह उर्फ भोमसिंह दर्ज है, न कि फतेहसिंह पुत्र सिमरथसिंह। इसके अलावा सिमरथसिंह, फतेहसिंह के जन्म से पूर्व फौत हो चुके थे, इसलिए फतेहसिंह का सिमरथसिंह के गोद पुत्र होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। उक्त अपील मात्र अपीलार्थीगण को परेशान करने की नियत से की गई। प्रकरण में वकील अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी के साथ फार्म नं0 3 में उल्लेखित पहचान दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत की गई।

वकील अपीलांट ने यह भी निवेदन किया कि गोद पुत्र लेने व देने की वर्षो पुरानी एक परिपाटी है, जिसमें गांव परिवार एवं रिश्तेदारी व भाई गिनाईत को बुलाकर सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार किसी भी व्यक्ति को गोद पुत्र लिया जाता है, तो उसकी लिखा पढी होकर गोदनामा रजिस्टर किया जाता है तथा बहीभाट में उसका इन्द्राज किया जाता है। उप जिलाधीश (जागीर) जोधपुर को कोई कानूनी अधिकार गोदनामें के बारे में नही दिये गये, ऐसे दस्तावेज बनावटी है। जिस सन् को दस्तावेज को आधार मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने आलौच्य आदेश पारित किया है, वह दस्तावेज कानूनन कोई महत्व नही रखता। मात्र अस्पष्ट फोटो कॉपी को आधार मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने आलौच्य निर्णय पारित कर दिया गया, जो निरस्त योग्य होने से अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने तथा अपीलार्थीगण को वादग्रस्त खसरा नम्बर 190 में पक्षकार बनाकर सुनवाई का अवसर प्रदान कर आदेश पारित करवाने का आग्रह किया।

जवाब में रेस्पो0सं0 1 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि ग्राम मालसिंह की सिड, वर्तमान राजस्व ग्राम खिदरत तहसील बाप के खसरा नम्बर 190 रकबा 68.08 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड में सिमरथ सिंह पुत्र पन्नेसिंह एवं

मोडसिंह पुत्र सुल्तान सिंह के नाम पूर्व में दर्ज थी तथा डूंगरसिंह पुत्र बुलीदानसिंह के नाम खसरा नम्बर 890 रकबा 12.08 बीघा भूमि दर्ज थी। डूंगरसिंह का फौतेदगी ना0क0सं0 446 मौजा कानसिंह की सिड भरते समय ख0नं0 890 रकबा 12.08 बीघा के स्थान पर ख0नं0 190 रकबा 12.08 बीघा भर कर स्वीकृत कर दिया गया। इसलिए उक्त ना0क0सं0 446 विधिविरूद्ध होने से निरस्त कर, ग्राम खिदरत के ख0नं0 190 रकबा 12.08 बीघा भूमि में सिमरथसिंह की 1/2 हिस्सा भूमि में रेस्पो0सं0 1–अपीलांट– फतेहसिंह एवं 1/2 हिस्सा भूमि में मोडसिंह के वारिसान अपीलांट का नाम दर्ज करने हेतु आग्रह किया गया। उक्त स्वीकृत नामान्तरकरण के विरूद्ध रेस्पो0सं0 1–फतेहसिंह द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजस्व प्रथम अपील संख्या 02/2015 में पारित निर्णय दिनांक 19.07.2016 द्वारा अपील अंदर मियाद शुमार कर अपीलाधीन ना0क0सं0 466 निरस्त कर, प्रकरण तहसीलदार बाप को ग्राम खीदरत वादग्रस्त खसरा नं0 190 रकबा 12.08 बीघा की भूमि में मुतवफी सिमरथ सिंह पुत्र पन्नेसिंह एवं मोडसिंह पुत्र सुल्तानसिंह के वारिसान की जांच कर, पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर, सिमरथसिंह एवं मोड़सिंह के वारिसान के नाम बराबर हिस्सा अनुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिप्रेषित किया गया।

सिमरथसिंह ने अपने जीवन काल में रेस्पो0 को विधिक प्रकिया अपनाकर गोद लिया था। सिमरथसिंह का वर्ष 1961 में देहांत हो गया तथा रेस्पो0 का जन्म दिनांक 20.11.1954 को हुआ, तब रेस्पो0 नाबालिग था। इसलिए उपरोक्त दस्तावेज में उसके जैविक पिता मोडसिंह उर्फ भोमसिंह का नाम शुरू से लिखा हुआ है, जो कालांतर में चला आ रहा है तथा यह उसकी जैविक पहचान है। उक्त दस्तावेज पूर्व से ही अपीलांट के पास थे, जो इनके मददगार साबित नही है।

अपीलांट एवं रेस्पो0 के पूर्वज जागीरदार थे, जिस कारण मुआवजा तय करने के लिए जिलाधीश (जागीर) जोधपुर के न्यायालय में उत्तराधिकार बाबत प्रकरण संख्या 84/1969 चला एवं विधि अनुसार न्यायालय द्वारा फतेहसिंह को बाद सुनवाई/कार्यवाही रेकर्डेड खातेदार सिमरथसिंह पुत्र पन्नेसिंह का गोद पुत्र होने का उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र कमांक 1717 दिनांक 11.09.1969 जारी किया गया। जिससे रेसपो0–फतेहसिंह ने मुआवजा राशि प्राप्त की तथा उक्त उत्तराधिकार प्रमाण रेस्पो0 फतेहसिंह के जैविक पिता मोडसिंह ने दिनांक 06.10.1969 को अपने हस्ताक्षर कर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

प्राप्त किया, जो उप जिलाधीश (जागीर) जोधपुर की आदेशिका दिनांक 11.09.1969 से साबित है। इससे पूर्व सिमरथसिंह के देहान्त होने के कुछ दिन बाद ही रेस्पो0–फतेहसिंह के जैविक पिता ने तहसीलदार फलौदी को दिनांक 01.05.1961 को रेस्पो0–फतेहसिंह के नाम सिमरथसिंह की कृषि भूमि नामान्तरण के लिए लिखा गया था। अतः प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से अपील खारिज फरमाने का आग्रह किया। रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी के साथ फार्म नं0 3 में उल्लेखित दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत की गई।

रेस्पो0सं0 1 के अधिवक्ता ने दिनांक 26.12.25 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी का इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि रेस्पो0सं0 1–फतेहसिंह द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खसरा संख्या 446 ग्राम कानसिंह की सिड वर्तमान ग्राम खिदरत तहसील बाप (पूर्व तहसील फलौदी) को निरस्त/संशोधित किए जाने हेतु अपील प्रस्तुत की गई थी।

1. विवादित अपील ना0क0सं0 446 में खसरा संख्या 890 की भूमि 12 बीघा 08 बिस्वा के स्थान पर खसरा संख्या 190 रकबा 12 बीघा 08 दर्ज हो गया जिसके संशोधन किए जाने की अपेक्षा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली (अपील) के पद संख्या 6 से 8 से स्पष्ट है। खसरा संख्या 890 की भूमि 12 बीघा 08 बिस्वा की प्रविश्टि की जानी चाहिए थी जो सहवन से 190 की भूमि 12 बीघा 08 बिस्वा दर्ज हो गई।
2. खसरा संख्या 190 की भूमि जो कुल 68 बीघा 08 बिस्वा के स्थान पर 56 बीघा अपीलांट एवं रेस्पो0सं0 1 के खातेदारी में दर्ज हो गई। उक्त गलत प्रविष्टि के विरूद्ध रेस्पो0सं0 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पृथक से अपील प्रस्तुत की, जिसके विरूद्ध न्यायालय हाजा में राजस्व अपील संख्या 07/2020 गजेसिंह वगैरा बनाम फतेहसिंह वगैरा प्रस्तुत हुई।
3. अतः विचाराधीन अपील को सपठित धारा 136 आरएलआर एक्ट के तहत मानकर समुचित आदे । नामान्तरकरण संख्या 446 में दर्ज खसरा संख्या 190 रकबा 12 बीघा 08 बिस्वा के स्थान पर खसरा संख्या 890 रकबा 12 बीघा 08 बिस्वा दर्ज करने/संशोधन करने हेतु आदेश प्रदान करावे।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

परंतु न्यायहित में रेस्पो0सं0 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी के कम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में अंकित अपीलाधीन जैर नामान्तरकरण संख्या 446 में दर्ज खसरा संख्या 190 रकबा 12 बीघा 08 बिस्वा के स्थान पर **खसरा संख्या 890 रकबा 12 बीघा 08 बिस्वा संशोधित किया जाता है। तहसीलदार बाप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिमाण्ड प्रकरण में उक्त संशोधन अनुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करावे।**

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नही पायी जाने से तद्नुसार खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व अपील संख्या 02/2015 बअनवान फतेहसिंह बनाम गजेसिंह वगैरा में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.07.2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21-1-26 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

21/1/26.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर